रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223030
CG-DL-E-10112020-223030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/ कार्तिक 19, 1942
No. 572] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 21 की उपधारा (4) और धारा 21ख की उपधारा (2) तथा उपधारा (4) के साथ पठित धारा 38क की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी सचिव (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी सचिव (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घघ) "इलैक्ट्रानिक पद्धति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हैं :--

(i) ई-मेल द्वारा या किसी अन्य मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक माध्यम से या ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से परिवाद, लिखित कथन, प्रत्युत्तर शपथपत्र, निवेदन और किसी अन्य दस्तावेज का फाइल किया जाना ;

(ii) ऐसी विहित फीस या खर्च या जुर्माने की रकम का ऑन लाइन संदाय, जो अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा अधिरोपित किया जाए ;

(iii) वीडियो कान्फ्रेंस या अन्य श्रृव्य दृश्य साधनों के माध्यम से हाजिरी या सुनवाई ;

(iv) ई-मेल या किसी अन्य मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा नोटिसों या समनों या संसूचनाओं की तामील;"।

3. उक्त नियम के नियम 3 में,--

(क) उपनियम (1) में,--

(i) "तीन प्रतियों में" शब्दों के पश्चात्, "या इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) परंतुक में,--

(अ) "डाक से या कूरियर से" शब्दों के पश्चात्, "या इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) "निदेशालय में प्राप्त होती है" शब्दों के पश्चात्, "या पोर्टल पर अपलोड की जाती है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (6) में, "संख्या सहित" शब्दों के पश्चात्, "इलैक्ट्रानिक पद्धति या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियम के नियम 4 के उपनियम (2) में, "अवस्थित है," शब्दों के पश्चात्, "इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 7 के उपनियम (1) में, "या कूरियर से" शब्दों के पश्चात्, "या इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियम के नियम 8 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (क) में, "उसके वृत्तिक पते पर" शब्दों के पश्चात्, "या संस्थान के अभिलेखों या अन्य मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक पद्धति के अनुसार ई-मेल पते पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में,--

(क) "उसके मुख्य कार्यालय के पते पर" शब्दों के पश्चात्, "या संस्थान के अभिलेखों के अनुसार ई-मेल पते पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "संस्थान" शब्द के पश्चात्, "या ऐसे अन्य मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक पद्धतियों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 10 के उपनियम (1) में, "अभिस्वीकृति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या संस्थान के अभिलेखों या अन्य मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक पद्धति के अनुसार ई-मेल पते पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियम के नियम 14 में,--

(i) उपनियम (6) में, "सुनवाई की तारीख, घण्टा और स्थान" शब्दों के पश्चात्, ", जिसमें इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से सुनवाई भी है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु अनुशासन बोर्ड पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को भौतिक पद्धति में आयोजित की जाने वाली किसी नियत सुनवाई में इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

9. उक्त नियम के नियम 15 के उपनियम (3) में, "अंतिम आदेश की एक प्रमाणित प्रति" शब्दों के पश्चात्, "रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल या किसी अन्य मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

10. उक्त नियम के नियम 18 में,--

(i) उपनियम (6) में, "सुनवाई की तारीख, घण्टा और स्थान" शब्दों के पश्चात्, ", जिसमें इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से सुनवाई भी है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु समिति पक्षकारों और साक्षियों में से किसी भी पक्षकार को भौतिक पद्धति में आयोजित की जाने वाली किसी नियत सुनवाई में इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

11. उक्त नियम के नियम 19 के उपनियम (3) में, "अंतिम आदेश की एक प्रमाणित प्रति" शब्दों के पश्चात्, "रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल या किसी अन्य मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

12. उक्त नियम के प्ररूप 1 में,--

(i) खंड (3) में, "अंतिम पता" शब्दों के पश्चात्, ", ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (4) में, "वृत्तिक पता" शब्दों के पश्चात्, ", ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) अंत में, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**टिप्पण :--**कृपया पहचान और पते का कोई सुसंगत सबूत संलग्न करें : आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/चालन अनुज्ञप्ति ।"।

[फा. सं. 3/7/2015-पीआई]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 111(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 38A, read with sub-section (4) of section 21 and sub-sections (2) and (4) of section 21B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:—

1. **Short-title and Commencement**.—(1) These rules may be called the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007 (hereinafter referred to as said rules), in rule 2, in sub-rule (6), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(dd) "electronic mode" means and includes--

(i) filing of complaint, written statement, rejoinder, affidavits, submissions and any other documents by email or any other recognised electronic means or through the online portal;

(ii) online payment of prescribed fees or amount of fine or cost as may be imposed by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee;

(iii) appearance and hearing through video conference or other audio visual means;

(iv) service of notices or summons or communications by email or any other recognised electronic means;".

3. In the said rules, in rule 3,—

(a) in sub-rule (1) ,—

(i) after the words "in triplicate", the words, "or through electronic mode" shall be inserted;

(ii) in the proviso,—

(A) after the words, "by post or courier" the words "or through electronic mode" shall be inserted;

(B) after the words, "in the directorate", the words "or uploaded on portal" shall be inserted;

(b) in sub-rule (6), after the words, "acknowledged by", the words, "electronic mode or" shall be inserted;

4. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (2), after the words, "shall be paid", the words, "through electronic mode or" shall be inserted;

5. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after the words, "or courier", the words, "or through electronic mode" shall be inserted;

6. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1),—

(i) in clause (a), after the words, "at his professional address", the words, "or at email address as per the records of the Institute or such other recognized electronic modes", shall be inserted;

(ii) in clause (b),

(a) after the words, "address of its head office", the words, "or at email address as per the records of the Institute" shall be inserted;

(b) after the words, "maintained by the Institute", the words, "or such other recognized electronic modes" shall be inserted;

7. In the said rules, in rule 10, in sub-rule (1), after the words, "acknowledgement due or speed post", the words, "or at email address as per the records of the Institute or such other recognized electronic modes" shall be inserted;

8. In the said rules, in rule 14,—

(i) in sub-rule (6), after the words, "hour and place of hearing", the words, "including hearing through electronic mode" shall be inserted;

(ii) after sub-rule (6), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Board of Discipline may allow any of the parties to appear through electronic mode at any hearing scheduled to be held in physical mode".;

9. In the said rules, in rule 15, in sub-rule (3), after the words, "a certified copy of the final order", the words, "through registered post or speed post or email or any other recognized electronic mode" shall be inserted;

10. In the said rules, in rule 18,—

(i) in sub-rule (6), after the words, "hour and place of hearing", the words, "including hearing through electronic mode" shall be inserted;

(ii) after sub-rule (6), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Committee may allow any of the parties and witnesses to appear through electronic mode at any hearing scheduled to be held in physical mode.";

11. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (3), after the words, "a certified copy of the final order", the words, "through registered post or speed post or email or any other recognized electronic mode." shall be inserted;

12. In the said rules, in Form I,—

(i) in clause (3), after the words, "latest address", the words, "Email address, Mobile number and Landline number", shall be inserted;

(ii) in clause (4), after the words, "professional address", the words, "Email address, Mobile number and Landline number", shall be inserted;

(iii) at the end, the following note shall be inserted, namely:--

"Note:- Please enclose any relevant proof of identity and address: Aadhaar Card/ Voter Election Card/Passport/Driving License.".

[F. No. 3/7/2015-PI]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 111(E), dated the 27th February, 2007 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 314(E), dated the 23rd April, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA